संख्या–वे0आ0–2–396/दस–54(एम)/2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 18 मार्च, 2011

विषयः– वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–2) में लोक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में की गयी विस्तृत संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वेतन समिति द्वारा लोक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–2) में दी गयीं संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :––

(1) लोक निर्माण विभाग में अधीक्षण अभियंता के पद पर वेतनमान रू0 14300–18300 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–4 (37400–67000) तथा ग्रेड वेतन रू0 8700/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाय।

(2) वरिष्ठ वास्तुविद के पद पर अधीक्षण अभियंता के समान ही उच्चीकृत वेतनमान वेतन बैण्ड–4 (37400–67000) तथा ग्रेड वेतन रू0 8700/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाय।

(3) लोक निर्माण विभाग के इलेक्ट्रीशियन तथा वायरमैन के पदों पर भारत सरकार के समान आई0टी0आई0 के प्रमाण पत्र के साथ पॉच वर्ष का अनुभव रखते हुए वेतन बैण्ड–1 (रू0 5200–20200) में ग्रेड वेतन रू0 2400/– तात्कालिक प्रभाव से स्वीकृत किया जाय।

(4) लोक निर्माण विभाग में तकनीकी श्रेणी के ऐसे विभिन्न पद हैं जिनपर सीधी भर्ती की शैक्षिक अर्हता कक्षा–8 के साथ सम्बन्धित ट्रेड में आई0टी0आई0 है। वर्तमान में विभिन्न आई0टी0आई0 ट्रेड ऐसे हैं, जिनमें प्रवेश की शैक्षिक अर्हता उच्चीकृत कर हाईस्कूल विज्ञान एवं गणित की जा चुकी है। ऐसे पदों जिनपर सीधी भर्ती की अर्हता कक्षा–8 के साथ आई0टी0आई0 निर्धारित है और वर्तमान में प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा सम्बन्धित ट्रेड में प्रवेश हेतु शैक्षिक अर्हता हाईस्कूल, हाईस्कूल विज्ञान अथवा गणित की जा चुकी है,

उन पदों पर सीधी भर्ती की शैक्षिक अर्हता को हाईस्कूल, हाईस्कूल विज्ञान एवं गणित (जैसी भी स्थिति हो) तथा सम्बन्धित ट्रेड में आई0टी0आई0 किया जाय।

(5) लोक निर्माण विभाग में अन्य कनिष्ठ श्रेणी के प्राविधिक पदों पर समिति द्वारा सामान्य संवर्ग के पदों के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों के अनुसार वेतनमान अनुमन्य कराये जायें।

(6) वास्तुशिल्पीय नक्शा नवीश (मानचित्रकार) के पद पर भविष्य हेतु शैक्षिक अर्हता वास्तुशिल्प सहायक पाठ्यक्रम में तीन वर्ष का डिप्लोमा ही रखा जाय और उक्त पद पर अवर अभियन्ता के समान वेतनमान रू0 5000–8000 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 (रु0 9300–34800) तथा ग्रेड वेतन रू0 4200/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाय।

(7) समिति द्वारा अवर अभियन्ता संवर्ग, लिपिकीय संवर्ग, वाहन चालक संवर्ग तथा अन्य विभिन्न कोटि के सामान्य श्रेणी के पदों के बारे में विचार कर संस्तुतियॉ दी जा चुकी हैं। उक्त संस्तुतियों से लोक निर्माण विभाग के सामान्य श्रेणी के पद भी आच्छादित होंगे।

(8) लोक निर्माण विभाग में अन्य किसी पद पर वेतन विसंगति समिति के संज्ञान में नहीं लायी गयी।

2– कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव।

संख्या–वे0आ0–2–396(1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(3) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।